न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी हरिराम आदित्य आर०ए०एस०
वाद सं० 134/11

रूपसिंह उर्फ भूपन पुत्र नन्दू जाति खटीक निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर
... वादी

बनाम

1. जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील नगर
... असल प्रति०
3. रामचन्द
4. लच्छी
5. घनश्याम

पिसरान गोकल कौम तेली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर

-- फोरमल प्रति०

दावा अन्तर्गत धारा 88-89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. श्री संदीप मदान अधिवक्ता वादी
2. " पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक - 10-4-14

वादी ने यह दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वि०आ० ख०नं० 622 मिन रकबा 0.17 साबिक ख०नं० 503 ख०नं० 503 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा से बना है जो कस्बा नगर मे स्थित है। साबिक ख०नं० 503 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा मे से 2 बीघा 4 बिस्वा रकबा गंगा प्रसाद पुत्र रामजीलाल व गंगा सहाय पुत्र सोनपाल जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर की खातेदारी काश्तकारी रकबा था, जिसमे से उसने 40x62.50x38 का प्लाट जरिए रजि० बयनामा दिनांक 11.12.73 को सुन्दरलाल पुत्र रामलाल कोली को विक्रय कर दिया, तथा मौके पर कब्जा [illegible] सौंप दिया, तथा उसके बाद वादी ने उक्त प्लाट मे से एक [illegible] 12'6"x40'x4'x39' का दिनांक 13.9.1988 को जरिए [illegible] लिया था, जिस पर वादी निरंतर काबिज [illegible] है तथा मौके [illegible] की दुकानात मकानात वगैरह बनी हुई है। उक्त प्लाट का [illegible] हो चुका है। राजस्व रिकार्ड मे उक्त आ०ख०नं० 622 मि० रकबा 0.17 पर गलत रूप से वादी का 36 वर्ग मीटर पर इन्द्राज न होकर विवादग्रस्त -

— 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:05:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

B/10

दर्ज किया हुआ है, जिससे वादी को सख्त तकलीफ है। प्रति० असल उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को बेदखल करने की स्पष्ट धमकी दी है जिसकी वजह वादी डिग्री डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिग्री फरमाया जाकर वादी को आ०ख०नं० $\frac{622}{0.17}$ मे वाके कस्बा नगर में से 36 मीटर रकबे का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रति० को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

दावा दर्ज रजि० किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 3,4,5 को वादी की प्रार्थना पर दिनांक 15-3-07 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस नहीं दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है। वादी का खे०नं० $\frac{622}{0.17}$ के 12'6"x40'x4'x39' हिस्से पर कब्जा है तथा दुकानात बनी हुई हैं जो काफी पुरानी हैं परन्तु रिकार्ड में रकबा सिवायचक दर्ज है. मुताबिक राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती करने में कोई एतराज नहीं है. परन्तु वादी न्यायालय में अपना कथन अभिलेख से प्रमाणित करें।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीहात कायम की गई —

1. आया वादी हाल आ०ख०नं० 622 मीन रकबा 0.17 में से 36 मीटर रकबे का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने योग्य है? — जिम्मे वादी
2. आया वादी उक्त आराजी के बारे में वाद पत्र में चाही गई डिक्री हुक्म इमतनाई दवामी विरुद्ध प्रतिवादी० असल पाने के हकदार हैं? — जिम्मे वादी
3. आया वादी ने दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादीगण को दफा 80 CPC का नोटिस नहीं दिया? — जिम्मे पैरोकार
4. आया रिकार्ड में उक्त रकबा [illegible] प्रतिवादीगण अपने कथन / दावा को अभिलेख [illegible] प्रमाणित करे? — जिम्मे प्रति०
5. दादरसी?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं० 2055-58 Ex-1, नकल खसरा पत्रक Ex-2 असल बयनामा दिनांक 13-9-88, Ex3, नकल जमाबंदी सं० —

— 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:05:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2026 Ex-5, नकल बयनामा दि० 11-12-73 Ex5, तथा नकल आदेश दि० 17-4-03 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act Ex-6 प्रस्तुत किये हैं. तथा मौखिक-साक्ष्य में वादी भूपसिंह P.W1. गवाह स्वरूप PW2 तथा प्रकाश PW3 के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा उनके द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2055-58 Ex-1 के खाता सं० 1 पर कित्ता 9 रकबा 0.97 हैक्टे० मे ख-नं० 622 किता रकबा 0.17 हैक्टे० की बाबत — "(5) पानी के नीचे डूबी हुई भूमियां" दर्ज है। नकल खसरा पत्रक Ex2 के अनुसार हाल आ० ख-नं० $\frac{622}{0.02}$ गै०मु० चाह 1 साबिक ख नं. 505, 503 कि० से बनाया जाना साबित है तथा कॉलम नं. 23 व 24 में क्रमश: मकबूजा सरकार, सिवायचक दर्ज है एवं विशेष विवरण के कॉलम में - "नम्बर हाजा में चाह पुख्ता पानी मीठा ग्राम के पीने वास्ते है।" का नोट अंकित हो रहा है साबिक ख नं. 503 कि. से हाल ख नं. $\frac{623}{0.09}$ गै.मु. कंकर जो मकबूजा सरकार सिवाय चक दर्ज है भी बनाया जाना साबित होता है। नकल जमाबंदी सं. 2023 Ex-4 में - साबिक ख नं. 503 कि० रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा गंगा प्रसाद वल्द रामजी लाल व गंगा सहाय वल्द सोनपाल व.छि बराबर. कौम वैश्य सा० डेह खातेदार. दर्ज होना पाया जाता है। राजस्व अभिलेख के विवेचन से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि विवादित ख.नं. 622 कि० पानी मे डूबी हुई भूमियाँ हैं तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि है. जिन पर राज० काश्त० अधि० की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहा है।

अत: आदेश है कि दावा वादी खारिज किया जाता है। डिग्री प्रकार पत्रावली जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ... 2004 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिराम अटेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:05:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

B/12

डिक्री ब मुकद्दमे इब्तदाईत्र
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

पीठासीन अधिकारी : हरिओम आदित्य आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 134/11 निर्णय दिनांक : 10.4.14

उनवान

रूपसिंह उर्फ रूपन पुत्र नन्नू जाति खटीक नि. मथुरानगर तहसील नगर जिला भरतपुर -- वादी

बनाम

1. जिला कलक्टर, भरतपुर
2. तहसीलदार, तहसील नगर -- अप्रार्थीगण
3. रामजी
4. लटूरी
5. धनरूपाल } पिसर गोकल जाति तेली नि. मथुरा नगर तहसील नगर -- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा (88,89,188 आर.टी.एक्ट)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री संदीप भडाना अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री [illegible] मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि ~~दावा वादी~~ वि. आ. ख. नं. 622 कि. भूमि में कुवी हुई स्थितियां है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिनपर राज. काश्तकारी अधि. की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधि प्रोदभूत नहीं किये जा सकते। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः आदेश है कि दावा वादी खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 10.4.14 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नगर – भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:05:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner